

प्रेस-नोट

थाना गरौठा, जनपद-झाँसी

दिनांक-15.11.2025

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 15.11.2025 को थाना गरौठा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 186/25 धारा 64(1), 89, 351(3) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त रवि यादव पुत्र राजू यादव निवासी ग्राम बंगरा थाना गरौठा जनपद झाँसी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम रवि यादव पुत्र राजू यादव निवासी ग्राम बंगरा थाना गरौठा जनपद झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री विनय कुमार साहू, प्रभारी निरीक्षक थाना गरौठा जनपद झाँसी
2. उ0नि0 श्री देवराज सिंह, थाना गरौठा जनपद झाँसी
3. कां0 607 हरीश गौतम, थाना गरौठा जनपद झाँसी